सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2025/06 दर्ज तिथिः–28.12.2025

1. मोहम्मद तैयब पुत्र अहमद अली जाति कसाई निवासी काजियों की मस्जिद के पास, वार्ड नं. 16 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

................अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत देपालसर, तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये सरपंच

..................रेस्पोडेन्टान

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– श्री शिव गौतम सोलंकी
प्रत्यर्थीः– श्री नरेन्द्र सिहाग

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2025

1. यह कि आदेश जेर अपील अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि में नामान्मरण सं. 709 दिनांक 24.11.2025 रोही मौजा श्यामपुरा व खसरा नं. 156 तादादी 6.2094 हैक्ट., खसरा नं. 157 तादादी 8.5616 हैक्ट., खसरा नं. 8 तादादी 3.5410 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 18.3120 हैक्ट. वाके रोही श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित है। जो अपीलान्ट के पिताका विरासतन इन्तकाल संख्या 709 दिनांक 18.11.2025 को पंचायत देपालसर द्वारा खारिज किया जा चुका है जिसमें अहमद अली का 257/4344 हिस्सा की कृषि भूमि का इन्तकाल उनके वारिसान के नाम दर्ज करवाने के लिए पंचायत देपालसर की बैठक दिनांक 24.11.2025 को पेश हुआ मगर दिनांक 24.11.2025 को पंचायत द्वारा नामान्तरण कर अस्वीकृत कर दिया गया जो कि न्याय संगत नहीं होने से विधि विरूद्ध है। इस अपील के साथ इन्तकाल, जमाबंदी एवं प्रार्थना–पत्र के समस्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जा रही है।
2. अपील की मद संख्या 01 में दर्ज कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि है जो कि ग्राम पंचायत देपालसर में इन्तकाल दर्ज करने के लिए ... टीम की बैठक बुलाई गई मगर अपीलान्ट के दस्तावेज का किसी ... ना ही दस्तावेजात देखे गये केवल मात्र राजनैतिक कारण ... भूमि के इन्तकाल को खारिज कर दिया गया जो कि सही नहीं जिसकी अपील न्यायालय में पेश की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3. रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से विधि विरूद्ध बिना किसी जांच कि बिना मौका देखे नामान्तरण खारिज किया है। उक्त आदेश व निर्णय निम्न आधारों पर अपास्त व निरस्त किये जाने के काबिल है।
4. अपीलान्ट की अपने पिता से विरासतन आई हुई कृषि भूमि है जिसमें उसके पिता अहमद अली पुत्र नबी बक्स के नाम 257/4344 हिस्सा दर्ज है और अपीलान्ट के पिता अहमद अली का स्वर्गवास दिनांक 04.09.2016 को हो चुका है। जिस कारण उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के हक में विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए ग्राम पंचायत में पेश की मगर ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये पैतृक विरासतन इन्तकाल खारिज कर दिया।
5. हल्का पटवारी देपालसर ने यह भी रिपोर्ट की है कि उक्त इंतकाल दर्ज पंचायत बैठक में रख दी मगर राजनैतिक द्वेषता के चलते उक्त इंतकाल संख्या 709 दिनांक 24.11.2025 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय में पेश की जा रही है। जो अन्दर मियाद है।
6. अपीलगत निर्णय व आदेश ग्राम पंचायत देपालसर के द्वारा दिनांक 24.11.2025 पारित किया है जिसकी अपील सुनने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।
7. ग्रामपंचायत देपालसर द्वारा उक्त इंतकाल गलत रूप से खारिज कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.11.2025 को जमाबन्दी निकलवाने से हुई और हल्का पटवारी से दिनांक 25.11.2025 को सम्पर्क किया और इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाई और अपने अधिवक्ता से मिलकर उक्त इन्तकाल की अपील न्यायालय में की जा रही है जो कि अन्दर मियाद पेश है। जिस कारण अपीलान्ट ने धारा 05 व शपथ पत्र नहीं लगाया है क्योंकि अपील के निर्णय के 60 दिवस (दो माह) के अन्दर अन्दर अपील पेश की जाती है जो कि अपीलान्ट ने अन्दर मियाद अपील पेश की है।

अतः अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत देपालसर के आदेश निर्णय तारीख पेशी नामान्तरण संख्या 709 दिनांक 24.11.2025 निरस्त व अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

8. अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र सिहाग ने वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडण्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया तथा अपीलान्ट की सीधी बहस सुनी गई। बहस प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत देपालसर के आदेश निर्णय तारीख पेशी नामान्तरण संख्या 709 दिनांक 24.11.2025 निरस्त व अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे जाने का निवेदन किया गया।
9. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर दायर की गई कि खसरा संख्या 156/6.2094 हैक्ट., खसरा संख्या 157/8.5616 हैक्ट. व खसरा संख्या 8/3.4510 हैक्ट. वाके श्यामपुरा पटवार मण्डल देपालसर का ग्राम पंचायत देपालसर द्वारा नामान्तरण क्रमांक 709 दिनांक 18.11.2025 को ग्राम पंचायत कार्यवाही दिनांक 24.11.2025 बिना किसी विधिक कारण के केवल "नामान्तरण में हल्का पटवारी की रिपोर्ट नहीं है संलग्न [illegible] उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी है, वर्तमान में इस खाते की कृषि भूमि पर [illegible] की हुई है जिस कारण कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से नामान्तरण नि[illegible]" निरस्त किया गया। जबकि नामान्तरण कार्यवाही केवल [illegible] विरासतन अधिकारों को दर्ज करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाता। विरासतन नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

केवल मृत खातेदार के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु किया जाता है। अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि हल्का पटवारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसान के अनुसार संलग्न करते हुए नामान्तरण हेतु उचित अनुशंसा कर पंचायत बैठक में प्रस्तुत किया गया था ग्राम पंचायत द्वारा कोई विवाद या स्थगन आदेश संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये बिना ही नामान्तरण निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जबकि नामान्तरकरण अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि भूमि पर विवाद या स्थगन आदेश सिद्ध न हो ऐसा कोई तथ्य रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ग्राम पंचायत देपालसर द्वारा पारित आदेश मनमाना, असंगत एवं विधि विरूद्ध प्रतीत होता है।

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामान्तरण क्रमांक 709 दिनांक 18.11.2025 पर ग्राम पंचायत देपालसर की दिनांक—24.10.2025 की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध खारिज किये जाने के कारण नामान्तरण के उक्त निर्णय को खारिज कर अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरण क्रमांक 709 दिनांक 18.11.2025 पर ग्राम पंचायत देपालसर की दिनांक—24.11.2025 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर विधि संगत कार्यवाही करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार—1)
उपखण्ड अधिकारी
(चूरू)चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:59 IST
Reason: SelfAttested